

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर (राज.)

क्रमांक :-प1(1)कार्मिक / 2025 / 1211

दिनांक :-14.09.2025

शहरी सेवा शिविर-2025

—: शिविर कार्यक्रम :—

राज्य सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 17.09.2025 से 17.10.2025 तक राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा "शहरी सेवा शिविर-2025" का आयोजन किया जाएगा। समस्त उप आवासन आयुक्त एवं स्वतंत्र खण्ड आवासीय अभियंता, राजस्थान आवासन मण्डल को उक्त शिविरों हेतु शिविर अधिकारी नियुक्त किया जाता है। शिविर अधिकारी प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट से आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को अवगत कराएंगे। पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 1145 दिनांक 05.09.2025 के क्रम में शिविर में राजस्थान आवासन मण्डल से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहकर कार्य करेंगे। राजस्थान आवासन मण्डल के स्तर पर किये जाने वाले प्रमुख कार्य निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रभारी अधिकारी
1	अहस्तांतरित कॉलोनियों में रोड, सीवर लाईन एवं रोड लाईटों की मरम्मत।	संबंधित उप आवासन आयुक्त/ आवासीय अभियंता, राजस्थान आवासन मण्डल
2	नाम हस्तांतरण प्रकरण।	
3	आवंटी/आवेदकों को रिफण्ड करना।	
4	पूर्ण राशि जमा होने पर अदेयता प्रमाण पत्र।	
5	एक मुश्त लीज पत्र।	
6	बकाया/शेष राशि की जानकारी/अन्य मांग/किश्तों की राशि जमा करना इत्यादि।	
7	पता एवं आय वर्ग में परिवर्तन।	
8	अर्नेस्ट मनी रिफण्ड।	
9	भवन मानचित्र जारी करने के संबंध में (पंजीयन हेतु)।	
10	आवास पंजीयन।	
11	किराया क्रय पद्धति से नकद भुगतान पद्धति में परिवर्तन।	

उक्त समस्त कार्य हेतु अंकित स्थान पर दिनांक 17.09.2025 से 17.10.2025 तक प्रातः 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक निम्नानुसार शिविर आयोजित किए जाएंगे।

क्र.सं.	कैम्प इंचार्ज का नाम व पदनाम	मोबाइल नम्बर	कैम्प स्थल
1	श्री संजय शर्मा, (चार्ज) उप आवासन आयुक्त वृत्त-I	9983993920	कार्यालय वृत्त-I, सेक्टर-05, प्रताप नगर, प्रताप प्लाजा के पास टोंक रोड़, प्रताप नगर
2	श्री के. के. दीक्षित, उप आवासन आयुक्त वृत्त-II	9982220234	कार्यालय वृत्त-II, सेक्टर-12 न्यू सांगानेर रोड़, मानसरोवर, जयपुर
3	श्री राजेश व्यास, (RE-II)(चार्ज) उप आवासन आयुक्त वृत्त-III	9982609486	कार्यालय वृत्त-III, जवाहर सर्किल मालवीय नगर, जयपुर
4	श्री पृथ्वी लाल मीणा, उप आवासन आयुक्त वृत्त-अलवर	9983993863	कार्यालय वृत्त-अलवर, बस स्टैंड के पास मनु मार्ग, प्रताप नगर कॉलोनी, अलवर
5	श्री अमजद अहमद, (चार्ज) उप आवासन आयुक्त वृत्त-कोटा	9982957860	कार्यालय वृत्त-कोटा, सीएडी सर्किल, कोटा

6	श्री राजेन्द्र व्यास, (चार्ज) उप आवासन आयुक्त वृत्त-1, जोधपुर	9610451141	कार्यालय वृत्त-1, जोधपुर, राजस्थान पत्रिका ऑफिस के पास, सेक्टर-08 कुड़ी भगतासनी, जोधपुर
7	श्री लाखाराम खिलेरी, (चार्ज) उप आवासन आयुक्त वृत्त-11, जोधपुर	9828559966	कार्यालय वृत्त-11, जोधपुर, सेक्टर-11, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर
8	श्री राजेन्द्र सिंह भाटी, कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त बीकानेर	9983651500	कार्यालय वृत्त बीकानेर, सेक्टर-04 मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर
9	श्री अजय कुमार मेहता, उप आवासन आयुक्त, वृत्त उदयपुर	9414103221	कार्यालय वृत्त-उदयपुर, सेक्टर-11, सलूमबर सर्किल, हिरणमगरी, उदयपुर
10	श्री दीपक कौशिक, आवासीय अभियन्ता, खण्ड-अजमेर	9887743000	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, खण्ड-अजमेर, वैशाली नगर, अजमेर
11	श्री प्रभु दयाल, आवासीय अभियन्ता, खण्ड-भरतपुर	9414006292	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, खण्ड-भरतपुर रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, भरतपुर
12	श्रीमती शिखा माथुर, (चार्ज) आवासीय अभियन्ता, खण्ड-भिवाड़ी	7073015587	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, खण्ड-भिवाड़ी चन्नी ट्रेड सेन्टर, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, भिवाड़ी
13	श्री अरविन्द माथुर, आवासीय अभियन्ता, खण्ड-भीलवाड़ा	9414343362	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, खण्ड-भीलवाड़ा सी 289-290 आर.के.कॉलोनी, भीलवाड़ा
14	श्रीमती राजश्री कच्छवाह, आवासीय अभियन्ता, खण्ड-नागौर श्री विनोद कुमार परियोजना अभियन्ता वरिष्ठ खण्ड-हनुमानगढ़ (सहायक नोडल ऑफिसर)	9672987803	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, खण्ड-नागौर, डॉ. भीमराव अम्बेडकर कॉलोनी, बालवा रोड़, नागौर
15	श्री पृथ्वी सिंह शेखावत, आवासीय अभियन्ता, खण्ड-हनुमानगढ़	9649998888	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, खण्ड-हनुमानगढ़ 9/58-59, हनुमानगढ़
16	श्री जगदीश प्रसाद वर्मा, आवासीय अभियन्ता, खण्ड-झुंझुनू	9828167506	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, खण्ड-झुंझुनू, 2/3-4, पुरानी कॉलोनी, चुरु रोड़, झुंझुनू

निर्देश:-

1. संबंधित कैम्प प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपके क्षेत्र में न्यास/स्थानीय निकाय के सेवा शिविर प्रभारियों से संपर्क कर अपने कार्यालय से एक प्रतिनिधि की बैनर एवं संबंधित सूचनाओं के साथ उपस्थित होने हेतु लगाया जाए। शिविर प्रभारी पूर्व में ही समस्त तैयारियां सम्पन्न कर लें।
2. संबंधित शिविर प्रभारी प्राप्त आवेदनो की सूची बनवा कर स्वयं के स्तर पर समीक्षा करते हुए प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध तरीके से शिविर में ही निस्तारण करना सुनिश्चित करें। सांय 06.00 बजे के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों को भी शामिल किया जाए।

3. यह भी सुनिश्चित करे कि शिविर प्रातः 9.30 बजे से प्रारम्भ हो तथा समस्त अधिकारी/कार्मिक निर्धारित समय पर शिविर स्थल पर उपस्थित होंगे। शिविर **रविवार को छोड़कर** शेष समस्त दिनों में यथावत संचालित रहेगा।
4. शिविर प्रभारी हैल्प डेस्क/रजिस्ट्रेशन डेस्क की स्थापना करेंगे तथा आवश्यकतानुसार कार्मिकों को नियुक्त करेंगे।
5. राज्य सरकार के निर्देशानुसार समस्त कार्यों का चिन्हिकरण तथा क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। शिविर में पृथक से काउण्टर स्थापित कर प्रतिदिन प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही अंकित करेंगे व शिविर का पृथक से रजिस्टर संधारित करेंगे तथा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को अभियान के बारे में अवगत कराएंगे ताकि आमजन इससे लाभांवित हो सके।
6. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल शिविरों का अधिकाधिक प्रचार प्रसार प्रिण्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
7. समस्त शिविर प्रभारी अधिकारी कैम्प में प्राप्त आवेदन व निस्तारण की प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट मुख्यालय को प्रेषित करेंगे एवं जारी की गई गूगल शीट प्रतिदिन अपडेट करेंगे।
8. शिविर स्थलों पर कार्यक्रमानुसार स्थल पर पेयजल तथा टेन्ट, माईक, फलेक्स, बैनर, फर्नीचर इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कैम्प स्थल पर आवश्यकतानुसार फलेक्स/बैनर एवं हॉर्डिंग लगाना सुनिश्चित करेंगे।
9. शिविर में उपस्थित होने वाले आवेदकों के प्रार्थना पत्र लिया जाकर उसे रजिस्टर में संधारित करेंगे तथा आवेदक को प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराएंगे।
10. राज्य सरकार द्वारा शिविरों में किए जाने वाले कार्यों के लिए छूट के आदेश पृथक से जारी किये जा रहे हैं।
11. प्री-शिविरों में प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों से संबंधित रिकॉर्ड व अपेक्षित रिपोर्ट कैम्प शुरू होने से पूर्व ही रिकॉर्ड से निकलवाकर शिविर के दौरान उपलब्ध रखे जायेंगे ताकि प्रकरणों का शिविर के दौरान ही समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जा सके।

(डॉ. अनिल कुमार)
सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नविआ, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव-आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता-मु./I/II, रा.आ.म., जयपुर।
5. निजी सचिव-सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जयपुर, वृत्त जोधपुर प्रथम/द्वितीय/कोटा/अलवर/बीकानेर/उदयपुर, रा.आ.म., जयपुर।
7. समस्त स्वतंत्र खण्ड कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल।
8. रक्षित पत्रालयी।

सचिव